न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.
पत्रावली संख्या : 238/2025 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002

रिलायंस एसेट रिकन्सट्रेक्शन कम्पनी लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालयः 11वीं मंजिल, नोर्थ साईड, आर–टेक पार्क, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, गोरेगांव, (ईस्ट), मुम्बई महाराष्ट्र–400063 जरिये प्राधिकृत अधिकारी परमवीर सिंह पुत्र शिम्भू सिंह

–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. **रामावतार कुम्भकार पुत्र तोफनी लाल कुम्भकार,** पता 3260, वार्ड नम्बर 61, जाट के कुऐं का रास्ता, चांदपोल बाजार, जयपुर, राज.–302001
2. **रूपा देवी कुम्भकार पत्नी रामावतार कुम्भकार,** पता 3260, वार्ड नम्बर 61, जाट के कुएँ का रास्ता, चांदपोल बाजार, जयपुर, राज.–302001
3. **मनीषा कुम्भकार पुत्री रामावतार कुम्भकार,** पता 3260, वार्ड नम्बर 61, जाट के कुएँ का रास्ता, चांदपोल बाजार, जयपुर, राज.–302001
4. **बाबू लाल कुमावत पुत्र श्योनारायण कुमावत,** पता 32, ग्राम धोध्सर, जयपुर, राज.–303712,
5. **कमल प्रजापति पुत्र गुलाब चन्द प्रजापति,** पता 3260, वार्ड नम्बर 61, जाट के कुऐं का रास्ता, चांदपोल बाजार, जयपुर राज.–302001
6. **सन्तोष देवी पत्नी प्रहलाद राम,** पता ग्राम जनकपुरा, खण्डेला, सीकर–332722

–अप्रार्थीगण (ऋणी/सहऋणी/बंधककर्त्ता)

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट ★ सीकर (राज.) ★

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

स्वीकृति आदेश

दिनांकः 08 दिसम्बर, 2025

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री मनोज कुमार वर्मा** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 क्रमशः **रामावतार कुम्भकार पुत्र तोफनी लाल कुम्भकार, रूपा देवी कुम्भकार पत्नी रामावतार कुम्भकार, मनीषा**

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट,सीकर

कुम्भकार पुत्री रामावतार कुम्भकार, बाबू लाल कुमावत पुत्र श्योनारायण कुमावत, कमल प्रजापति पुत्र गुलाब चन्द प्रजापति एवं **सन्तोष देवी पत्नी प्रहलाद राम** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी के स्वामित्व की बंधक आवासीय सम्पत्ति भूखण्ड **खसरा नम्बर 4423 व 4424, प्लॉट नम्बर 01, ग्राम रींगस, जिला सीकर, राजस्थान** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 210 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में अन्य भूमि, पश्चिम दिशा में रोड़ 30 फीट, उत्तर दिशा में प्लॉट नम्बर 2 एवं दक्षिण दिशा में रोड़ 30 फीट स्थित है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर **कुल ₹7,30,000/– रूपये (अक्षरे रूपये सात लाख तीस हजार)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **09.08.2023** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित हुए परन्तु बकाया ऋण के भुगतान से सम्बन्धित कोई दस्तावेजी साक्ष्य इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **09.08.2023** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 क्रमशः **रामावतार कुम्भकार पुत्र तोफनी लाल कुम्भकार, रूपा देवी कुम्भकार पत्नी रामावतार कुम्भकार, मनीषा कुम्भकार पुत्री रामावतार कुम्भकार, बाबू लाल कुमावत पुत्र श्योनारायण कुमावत, कमल प्रजापति पुत्र गुलाब चन्द प्रजापति** एवं **सन्तोष देवी पत्नी प्रहलाद राम** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी के स्वामित्व की बंधक आवासीय सम्पत्ति भूखण्ड **खसरा नम्बर 4423 व 4424, प्लॉट नम्बर 01, ग्राम रींगस, जिला सीकर, राजस्थान** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 210 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में अन्य भूमि, पश्चिम दिशा में रोड़ 30 फीट, उत्तर दिशा में प्लॉट नम्बर 2 एवं दक्षिण दिशा में रोड़ 30 फीट स्थित है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के **स्वीकृति आदेश** प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर **किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर** दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट ★ सीकर (राज.) ★

6. आदेश आज दिनांक **08 दिसम्बर, 2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर